न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–15/2016–17

दयानंद प्रसाद शर्मा बनाम नागेन्द्र सिंह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
8/8/18	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही अंचलाधिकारी, बाढ़ के पत्रांक–739 दिनांक 30.05.2016 से प्राप्त जमाबंदी रद्द वाद सं0 19/2016–17 के आलोक में आरम्भ की गयी। **अंचलाधिकारी, बाढ़ का प्रतिवेदन है कि** 1. मौजा बेढ़ना, थाना नं0 70 में महेन्द्र सिंह, पिता स्व0 लखन सिंह के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{330}{V-3I}$ पर रकवा $3.28\frac{3}{4}$ एड़क दर्ज है। जमाबंदी पंजी में केवल खाता सं0 अंकित है। 2. जमाबंदी रैयत के द्वारा डीड सं0 5188 दिनांक 13.09.2010 के द्वारा खाता सं0 1392 खेसरा सं0 2552 रकवा 10डी0 की बिक्री नागेन्द्र सिंह, पिता स्व0 जंग बहादुर सिंह को की गयी। क्रय की गयी भूमि का दाखिल खारिज शिविर न्यायालय वाद सं0 27/3 वर्ष 2011–12 के द्वारा दिनांक 05.04.2011 को किया गया। नागेन्द्र सिंह के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{663}{V-8A}$ कायम की गयी, परन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मचारी के द्वारा उक्त रकवा को विक्रेता की जमाबंदी सं0 $\frac{330}{V-3I}$ से घटाया नहीं गया। 3. जमाबंदी रैयत के द्वारा पुनः डीड सं0 615 दिनांक 29.01.2015 द्वारा उसी खाता खेसरा का 10डी0 भूखण्ड आनन्द प्रसाद शर्मा, पिता देवेन्द्र प्रसाद शर्मा को बेच दी गयी। दाखिल खारिज वाद सं0 1578/2014–15 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी के द्वारा दखल कब्जा के दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर आनन्द प्रसाद शर्मा के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{1267}{V-6 \text{ नया}}$ कायम कर दी गयी। 4. दोनों क्रेता एक ही वंशज के है तथा प्रश्नगत भूखण्ड की चौहदी में पूर्व से उनकी जमीन है। प्रश्नगत भूखण्ड पर बगीचा लगा हुआ है, जिससे दखल कब्जा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 5. प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर उभय पक्ष के बीच सब जज–II बाढ़ के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0–149/2015 चल रहा है। 6. मामला जमाबंदी रद्द करने से संबंधित है, जिसके लिए अभिलेख अपर समाहर्ता, पटना को भेजा गया है।	

विपक्षी नागेन्द्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

1. उनके द्वारा दिनांक 13.09.2010 के निबंधित केवाला से प्रश्नगत खाता सं0 1392 खेसरा सं0 2552 रकवा 10डी0 की खरीद जमाबंदी रैयत महेन्द्र सिंह को की गयी। खरीदगी के पश्चात उनके नाम से वाद सं0 27/3 वर्ष 2011–12 के द्वारा विधिवत दाखिल खारिज कर जमाबंदी सं0 $\frac{663}{V-8A}$ कायम की गयी। वे सरकार को नियमित रूप से लगान अदा करते आ रहे हैं।

2. दाखिल खारिज के पश्चात क्रेता के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{663}{V-8A}$ कायम कर दी गयी, परन्तु बिक्रेता की जमाबंदी सं0 $\frac{330}{V-3I}$ से उक्त रकवा घटाया नहीं गया। यह दोष अंचल कार्यालय का है।

3. खरीदगी के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षी के द्वारा बागीचा लगाया गया जो अभी भी विपक्षी के शांतिपूर्ण दखल में है।

4. जमाबंदी रैयत महेन्द्र सिंह एवं उनके पुत्रों के द्वारा पुनः दिनांक 29.01.2015 की एक डीड से प्रश्नगत भूखण्ड की रजिस्ट्री आनन्द कुमार शर्मा, पिता देवेन्द्र प्रसाद सिंह को कर दी गयी, परन्तु आनन्द कुमार शर्मा प्रश्नगत भूखण्ड पर कभी भी दखल में नहीं आये।

5. दिनांक 29.01.2015 की डीड के आधार पर अंचलाधिकारी, बाढ़ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1578/2014–15 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूखण्ड की एक नयी जमाबंदी आनन्द प्रसाद शर्मा के नाम से कायम कर दी गयी।

6. प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी के द्वारा वर्ष 2010 में ही खरीदी गयी थी। प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षी का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है, जमाबंदी कायम है। लगान रसीद नियमित रूप से निर्गत हो रही है। उसी भूखण्ड की वर्ष 2015 में आनन्द प्रसाद शर्मा के नाम से जमाबंदी कायम कर दी गयी, जो गलत है।

7. प्रश्नगत खेसरा सं0 2552 का कुल 47डी0 है, जिसमें से 37डी0 की जमाबंदी विपक्षी के नाम से वर्ष 1976 से कायम है। शेष 10डी0 की खरीद वर्ष 2010 में महेन्द्र सिंह से की गयी। इस प्रकार विपक्षी खेसरा सं0 2552 के सम्पूर्ण रकवा 47डी0 पर शांतिपूर्ण दखल में है।

8. प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर आनन्द प्रसाद शर्मा एवं अन्य के द्वारा व्यवहार न्यायालय, बाढ़ में स्वत्व वाद सं0 149/2015 दायर किया गया है, जिसमें इस वाद के विपक्षी पक्षकार है।

9. आनन्द प्रसाद शर्मा के नाम से बाद में कायम की गयी जमाबंदी सं0 $\frac{1267}{V-6}$ अवैध है तथा रद्द करने योग्य है।

इस वाद के प्रथम पक्ष दयानंद प्रसाद शर्मा जो आनन्द प्रसाद शर्मा के भाई है दिनांक 13.12.2017 से सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि यथा 13.12.2017, 27.01.18, 21.03.18, 15.05.18, 26.05.18 एवं 20.06.18 को

उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 20.06.18 को प्रथम पक्ष को अंतिम मौका दिये जाने के बाद भी आज दिनांक 08.08.18 को प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। इसे स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि

(1) दिनांक 13.09.2010 के केवाला के आधार पर शिविर न्यायालय वाद सं0 27/3 वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत इस वाद के विपक्षी नागेन्द्र सिंह के नाम से विवादित भूखण्ड की दाखिल खारिज की स्वीकृति देते हुए जमाबंदी सं0 $\frac{663}{V-8A}$ कायम की गयी।

(2) खारिज किये गये रकवा को बिक्रेता की जमाबंदी सं0 $\frac{330}{V-3I}$ से घटाया नहीं गया, जिसके लिए तत्कालीन राजस्व कर्मचारी पूर्ण रूपेण दोषी है।

(3) जमाबंदी रैयत की जमाबंदी सं0 $\frac{330}{V-3I}$ से प्रश्नगत खेसरा सं0 2552 रकवा 10डी0 नहीं घटाया गया तथा जमाबंदी रैयत के द्वारा पुनः उसी भूखण्ड को दिनांक 29.01.2015 के डीड से आनन्द प्रसाद शर्मा को बेच दी गयी। दाखिल खारिज वाद सं0 1578/2014–15 के अन्तर्गत आनन्द प्रसाद शर्मा के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{1267}{V-6 \text{ नया}}$ कायम कर दी गयी।

(4) उभय पक्ष विवादित भूखण्ड पर अपना दखल कब्जा बताते है अंचलाधिकारी, बाढ़ के द्वारा प्रतिवेदित है कि दखल–कब्जा स्पष्ट नहीं है। अंचलाधिकारी, बाढ़ के द्वारा किसी जमाबंदी को रद्द करने की स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गयी है।

(5) प्रथम पक्ष दयानंद प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के लिए विपक्षी नागेन्द्र सिंह की जमाबंदी रद्द करने हेतु पविाद लाया गया था, परन्तु नागेन्द्र सिंह की जमाबंदी वर्ष 2011 से निबंधित केवाला के आधार पर कायम है, जिसे अवैध नहीं कहा जा सकता है।

(6) प्रश्नगत मामला स्वत्व का है। विवादित भूखण्ड पर स्वत्व के निर्धारण को लेकर उभय पक्ष के बीच व्यवहार न्यायालय, बाढ़ में स्वत्व वाद सं0 149/2015 चल रहा है।

प्रश्नगत भूखण्ड पर स्वत्व एवं दखल के संबंध में सक्षम व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद दायर है। स्वत्व वाद का निर्णय ही अंतिम रूप प्रभावी होगा।

दाखिल खारिज वाद सं0 27/3 वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत नागेन्द्र सिंह के नाम से 10डी0 की जमाबंदी कायम करने के साथ बिक्रेता की जमाबंदी से उक्त रकवा को नहीं घटाये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुयी है। अंचलाधिकारी, बाढ़ उक्त राजस्व कर्मचारी को चिन्हित कर उसके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर चार सप्ताह के अन्दर जिला स्थापना शाखा को भेजें तथा इसकी सूचना जिला राजस्व शाखा को भी है।

	वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, बाढ़ को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। **लेखापित एवं संशोधित।** 8/8/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना 8/8/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	